भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1585
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन

1585. श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ख) संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में शीतागार सुविधाओं को विकसित करने और खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या बाजार क्षेत्र में विशेषकर दरणगिरि केले जैसी शीघ्र खराब होने वाली फसलों के लिए शीतागार इकाइयों के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता या राजसहायता उपलब्ध है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इसे सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजनाओं के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना / विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है ।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए चालू है ।

(ख) एवं (ग) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के अंतर्गत, स्टैंडअलोन शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। परंतु, यह पीएमकेएसवाई की प्रासंगिक घटक योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के हिस्से के रूप में शीत श्रृंखला, परिरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचनाके निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ भंडारण, परिवहन, मूल्य संवर्धन आदि सहित आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकें, कृषि उपज की बर्बादी कम हो और प्रसंस्करण स्तर बढ़े।

मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, केले के प्रसंस्करण सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले शीत भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए पूंजी सहायता प्रदान की जाती है। एएपी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाती हैं । शीत भंडारण का घटक मांग/उद्यमी संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

योजना केवल पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में भी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सहायता उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम परियोजना लागत 800.00 लाख रुपये /इकाई है।

*****